फा. सं. 7(23)/संस्था.III/96
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर, 1996

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम राहत की मंजूरी।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 14 जुलाई, 1995 के कार्यालय ज्ञापन सं. 7(51)/संस्था.III/95 की ओर ध्यान दिलाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी तीसरी अन्तरिम रिपोर्ट में कर्मचारियों के मूल वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर किंतु कम-से-कम 100/-रुपए प्रतिमाह अंतरिम राहत की एक और किस्त दिये जाने की सिफारिश की है जिसका भुगतान 1 अप्रैल, 1996 से किया जाना है।

2. सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है। तद्नुसार राष्ट्रपति ने सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मूल वेतन (एफ.आर. 9-(21)(क)(i) के तहत परिभाषित वेतन) के 10 प्रतिशत की दर से किन्तु कम से कम-से-कम 100/-रुपए प्रतिमाह अंतरिम राहत की एक और किस्त 1 अप्रैल, 1996 से मंजूर की है। इसे आयोग की अंतिम सिफारिशों को माने जाने पर स्वीकार्य लाभों में पूर्णतया समायोजित करके शामिल किया जायेगा।

3. अंतरिम राहत की यह राशि एक अपने ही ढंग की राशि होगी अर्थात् यह न तो वेतन के रूप में समझी जाएगी और न ही भत्ते अथवा मजदूरी के रूप में मानी जाएगी। तद्नुसार, यह राशि किसी भी सेवा लाभ अर्थात् मकान किराया भत्ता, प्रतिपूर्ति भत्ते, समयोपरि भत्ता, नकदी प्रतिपूर्ति, छुट्टी के नकदीकरण, वेतन नियतन, पेंशन अथवा ग्रेच्युटी आदि की संगणना के लिए नहीं गिनी जाएगी।

4. इस कार्यालय ज्ञापन के उपबंध संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, इन आदेशों को भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करके जारी किया गया है।

(धीरेन्द्र स्वरूप)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।
फा. सं. 7(23)-संस्था.III/96 दिनांक 6 सितम्बर, 1996 ।
प्रतिलिपि : (मानक सूची के अनुसार) ।